Est / A/c
16/1/12

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या०
आवक क्र. 5045 संख्या ... ...
16 JAN 2012
प्रधान कार्या.-सहकारी सदन-सागर

ग्रा.आ.ऋ.वि (भोपाल)/ 963/05.05.101/2011-12

दिनांक : 12 जनवरी, 2012

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, सागर
कोर्ट रोड, नगर निगम के पास, सागर - 470 001

महोदय,

बैंककारी विनियमन अधिनियमन, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 22 के अन्तर्गत जारी लाइसेंस/
Issue of Licence under Section 22 of the Banking Regulation Act,1949 (As Applicable to Co-operative Societies)

हम इस पत्र के साथ आपके बैंक को दिनांक 12 जनवरी, 2012 को जारी हमारा रुपांतरित लाइसेन्स सं. ग्राआऋवि. 46 /2011-12 प्रेषित कर रहे हैं।
We forward herewith modified Licence No. RPCD.46dated January 12, 2012 issued by us to your bank.

1. इस सबंध में कृपया यह सुनिशिचित करें कि:
   In this connection, please ensure that:
   (i) लाइसेन्स या इसकी प्रमाणित प्रति बैंक के पंजीकृत कार्यालय में इस पत्र की प्राप्ति के दूसरे दिन से प्रदर्शित की जाये।
   The Licence or its certified copy should be displayed at the Registered Office of the bank from the date following the receipt of this letter.
   (ii) यदि किसी विज्ञापन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप में बैंक द्वारा यह बताया जाये कि बैंकिंग कारोबार करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति प्राप्त की गयी है, तो निम्नलिखित शब्द अवश्य जोड़े जायें:
   "बैंककारी विनियमन अधिनियमन, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56(ओ) के साथ पठित धारा 22 के अनुसार बैंकिग कारोबार करने के लिये बैंक को प्राधिकृत करने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेन्स प्राप्त कर लिया गया है, तथापि यह विशिष्ट रुप से अवश्य समझ लिया जाये कि लाइसेन्स जारी करने में भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक की वित्तीय सुदृढता के लिये किसी जिम्मेदारी का वचन नहीं देता है।"

जारी/Contd. 2

ग्रामीण आयोजना एवं ऋण विभाग, होशंगाबाद रोड़, पो.बा.नं 32, भोपाल – 462 011 (म.प्र.) भारत
दूरभाष : (0755) 2555783 फैक्स : (0755) 2576662 ई-मेल : spati@rbi.org.in
Rural Planning and Credit Deptt., Hoshangabad Road, P.B. No. 32, Bhopal – 462011(M.P.) INDIA
Tel : (0755)2555783 Fax : (0755) 2576662 E-mail : spati@rbi.org.in

If it is decided to indicate directly or indirectly in any advertisement that the permission of the Reserve Bank of India has been obtained for carrying on banking business, the following words should be added:

"A licence authorizing the bank to carry on banking business has been obtained from the Reserve Bank of India in terms of Section 22 read with Section 56(O) of the Banking Regulation Act, 1949 (As applicable to Cooperative Societies). It must be distinctly understood, however, that in issuing licence, the Reserve Bank of India, does not undertake any responsibility for the financial soundness of the bank."

2. कृपया इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें।
Please acknowledge receipt of this letter.

भवदीय,

[सी. एम. त्रिपाठी]
[C.M. Tripathi]

उप महाप्रबंधक
Deputy General Manager

अनुलग्नक – यथोक्त (1)
Encl.-As Above (1)

ग्रामीण आयोजना एवं ऋण विभाग, होशंगाबाद रोड़, पो.बा.नं 32, भोपाल – 462 011 (म.प्र.) भारत
दूरभाष : (0755) 2555783 फैक्स : (0755) 2576662 ई-मेल : spati@rbi.org.in
Rural Planning and Credit Deptt., Hoshangabad Road, P.B. No. 32, Bhopal – 462011(M.P.) INDIA
Tel : (0755)2555783 Fax : (0755) 2576662 E-mail : spati@rbi.org.in

भारतीय रिज़र्व बैंक

ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग

क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल

Reserve Bank of India

Rural Planning & Credit Department

Regional Office, Bhopal

लाइसेंस सं.ग्राआऋवि. 46 /2011-12

दिनांक : January 12, 2012

(संदर्भ: लाइसेंस सं.19/2010-11 दिनांक 31-03-2011)

भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 (ओ) के साथ पढ़ी जानेवाली धारा 22 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ***जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, सागर कोर्ट रोड, नगर निगम के पास, सागर - 470 001*** को एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन बैंकिंग कारोबार प्रारंभ करने और उसे चालू रखने का लाइसेंस प्रदान किया जाता है :

(क) बैंक के परिचालन का क्षेत्र केवल संबंधित जिला ***सागर , मध्यप्रदेश राज्य*** तक ही सीमित होगा।

(ख) बैंक अपने पंजीकृत कार्यालय में लाइसेंस अथवा उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि अपना कारोबार शुरू करने के दिन / लाइसेंस प्राप्त होने के बाद की तारीख से प्रदर्शित करेगा।

उप महाप्रबंधक

LICENSE NO. RPCD. 46 /2011-12

Dated : 12 जनवरी, 2012

(Ref: Lic. No.19/2010-11 dated 31-03-2011)

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 22(1) read with Section 56(o) of the Banking Regulation Act, 1949, ***Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Sagar Court Road, Near Nagar Nigam, Sagar - 470 002*** is hereby granted a licence to commence and carry on banking business, subject to the following conditions:

(a) The area of operation of the bank shall be confined only to the **Sagar District, Madhyapradesh State**.

(b) This licence or a certified copy thereof shall be displayed at the registered office of the bank from the day on which it commences business/ date following the receipt thereof.

Deputy General Manager

(This license has been issued in lieu of the license issued earlier by this office vide RPCD no. 19/2010-11 dated 31-03-2011)